

**शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-29 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. दुर्गेश पुत्र शेषराम नि० पल्टीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-201/21, 02. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामलगन नि० पल्टीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-202/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. रामचन्द्र मिश्रा पुत्र हरिहर मिश्रा नि० कलहंसन पुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-229/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. रमेश पुत्र रामकिशुन नि० ग्राम महुआडीह अशरफपुर थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-196/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. सुनीता पत्नी बलराम नि० ग्राम कोहारन पुरवा मौजा हड़हवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-160/21, 02. सुखलाल पुत्र चिनगू नि० ग्राम हड़हवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-161/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 12.07.2021**

**दहेज हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस ने मु0अ0सं0-117/21, धारा 498ए, 304बी, 504 भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों-01. रंजीत, 02. कमला देवी को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने वादी की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए गला दबाकर जान से मार दिया था जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कौड़िया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. रंजीत पुत्र रामगोपाल नि0 आर्यनगर छितौनी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. कमला देवी पत्नी रामगोपाल नि0 आर्यनगर छितौनी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0-117/21, धारा 498ए, 304बी, 504 भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता—**

01. उ0नि0 अजय कुमार पाण्डेय मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 12.07.2021**

**अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त रमेश कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 210 अल्प्रासेफ की टेबलेट बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. रमेश कुमार उपाध्याय पुत्र बाबादीन उपाध्याय नि0 ग्राम उपाध्याय पुरवा मरचौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0—156/21, धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. अल्प्रासेफ की 210 टेबलेट।

**गिरफ्तार कर्ता—**

उ0नि0 राकेश कुमार मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 12.07.2021**

**थाना उमरीबेगमगंज ने दहेज प्रताड़ना के आरोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने मु0अ0सं0-107/21, धारा 498ए, 307, 326 भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मनोज को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी की बहन को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मारने की नियत से पीड़िता के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया था, जिससे पीड़िता गम्भीर रूप से झुलस गयी थी। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. मनोज कुमार पाठक पुत्र स्व0 धनलाल पाठक नि0 सेहियापुर मौजा बड़नापुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0-107/21, धारा 498ए,307,326 भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता—**

01. थानाध्यक्ष उमरीबेगमगंज करुणाकर पाण्डेय मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 11.07.2021**

**चोरी करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों/चोरो की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने मु0अ0सं0-118/21, धारा- 457,380 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त-फूलचन्द्र को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से रू0 700/- बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 05/06.05.2021 की रात्रि थाना खरगूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम भुलईडीह में आपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में वादी शिवा तिवारी पुत्र उमेश तिवारी द्वारा थाना खरगूपुर मे अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. फूलचन्द्र उर्फ फूले पुत्र बट्टी नि0 बराहेमा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0-118/21, धारा 457,380,411 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. रू0 700/- नगद।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

उ0नि0 अभिषेक मिश्रा मय टीम।

